कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 28/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 17.01.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 17.01.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस-नोट

थाना – बरदह, जनपद आजमगढ़

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण / घटना का अनावरण –

दिनांक- 16/17.01.2026 की रात्रि में उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव मय हमराह द्वारा गश्त, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की तलाश एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान ग्राम भगवानपुर से अभियुक्त अतीश यादव पुत्र शिवानन्द यादव निवासी ग्राम केदलीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को समय लगभग 01:30 बजे एक अदद अवैध तमंचा एवं एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 20/2026 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट बनाम अतीश यादव पुत्र शिवानन्द यादव निवासी ग्राम केदलीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

अतीश यादव पुत्र शिवानन्द यादव निवासी – ग्राम केदलीपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण –

- एक अदद अवैध तमंचा
- एक अदद जिन्दा कारतूस (.303 बोर)

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 20/2026 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 297/23 धारा 34/308/323/427/504/506 भा0द0वि0 एवं 3(1)घ, 3(1)ध, 3(2)(V)क एससी/एसटी एक्ट, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 167/19 धारा 379/411/419/420/467/468/471 भा0द0वि0, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 05/24 धारा 25(1)A आर्म्स एक्ट, थाना वारला, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
2. का0 पंकज यादव, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
3. का0 दुर्गेश राय, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

प्रेस-नोट
थाना – तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

युवती का बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.01.2026 को थाना तहबरपुर क्षेत्र से एक नाबालिग बालिका के बहला-फुसलाकर भगाये जाने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 04/2026 धारा 137(2), 87, 352, 351(3) बीएनएस बनाम अभियुक्त राज पुत्र विरेन्द्र निषाद, ग्रा0 धनियाँकुंडि, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण –

दिनांक 16.01.2026 को उ0नि0 दशरथ उपाध्याय मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राज पुत्र विरेन्द्र निषाद, ग्रा0 धनियाँकुंडि, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ को मेढी नहर पुलिया के पास से समय करीब 14.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. राज पुत्र विरेन्द्र निषाद, ग्रा0 धनियाँकुंडि, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 04/2026 धारा 137(2), 87, 352, 351(3) भा0न्या0सं0 थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 दशरथ उपाध्याय, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़
2. का0 रोहित कुमार, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़
3. म0का0 रूपा सरोज, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति
थाना – निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

ग्राम प्रधान को जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाले 06 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही, एक अभियुक्त गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण –

थाना निजामाबाद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम प्रधान को जान से मारने की नीयत से तमंचे से गोली मारने की गंभीर घटना के संबंध में श्रीमान जिलाधिकारी आजमगढ़ एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के अनुमोदन उपरांत दिनांक 27.05.2025 को थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 19/26 धारा 2(ख)(1)/3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत 06 अभियुक्तों

1. सुशील यादव उर्फ बिट्टू पुत्र स्व0बुद्धिराम यादव निवासी चुनहटा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ
2. दुबई यादव पुत्र कनाई लाल यादव उर्फ रामअवध यादव
3.पप्पू पुत्र कनाई लाल यादव उर्फ रामअवध यादव
4. प्रियांशु यादव पुत्र पप्पू यादव
5. अजीत यादव उर्फ मोनू पुत्र स्व0 बुद्धिराम यादव निवासी गण चुनहटा थाना निजामाबाद , आजमगढ
6. प्रवीण यादव पुत्र गिरजाशंकर यादव निवासी बैराडीह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त गैंग का सरगना अभियुक्त सुशील यादव उर्फ बिट्टू सहित अन्य सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विवेचना उ0नि0 राजनरायण पाण्डेय को सौंपी गई।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 17.01.2025 को थानाध्यक्ष निजामाबाद हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में शांति-सुरक्षा, अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर गैंगस्टर अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त प्रियांशु यादव को शेरपुर तिराहे से समय लगभग 07:45 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 19/26, धारा 2(ख)(1)/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. प्रियांशु यादव पुत्र पप्पू यादव, निवासी – चुनहटा, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 20 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 19/26 धारा 2(ख)(1)/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 193/25 धारा 109, 351(2), 3(5) बीएनएस, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 551/24 धारा 115(2), 3(5), 351(3), 352 बीएनएस, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

4. हीरेन्द्र प्रताप सिंह, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ ।
5. हे0का0 अरविन्द कुमार यादव, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
6. का0 अजय कुमार जायसवाल, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-नोट

थाना – तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 16.01.2026 को थाना तहबरपुर पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर एक अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध स्थापित करने तथा बाद में शादी से इनकार करने व शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 08/2026 धारा 69, 351(3) भा0न्या0सं0 पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी द्वारा संपादित की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण –

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के कुशल निर्देशन तथा थाना प्रभारी तहबरपुर के नेतृत्व में दिनांक 17.01.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियोग उपरोक्त में नामित अभियुक्त को किशुनदासपुर अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 10:40 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 08/2026, धारा 69, 351(3) भा0न्या0सं0, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. का0 मो0 आरिध अंसारी, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-नोट

थाना – देवगांव, जनपद आजमगढ़

चोरी किया गया जनरेटर बरामद, 02 अभियुक्त एवं एक बाल अपचारी पकड़े गये ।

अपराध का संक्षिप्त विवरण –

थाना देवगांव क्षेत्र अंतर्गत एक आवेदक द्वारा अपने मकान से क्राम्पटन कंपनी का जनरेटर (2.5 केवी) चोरी हो जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 28/2026 धारा 303(2) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना उ0नि0 सुभाष तिवारी द्वारा संपादित की जा रही थी।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण –

दिनांक 17.01.2026 को उ0नि0 सुभाष तिवारी प्रभारी चौकी लालगंज तथा उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा मय पुलिस टीम द्वारा अभियोग उपरोक्त से संबंधित दो अभियुक्तों एवं एक बाल अपचारी को देवगांव हाईवे कट से समय 23:50 बजे चोरी किए गए जनरेटर के साथ पकड़ लिया गया।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ के दौरान पकड़े गए व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.01.2026 को प्रातः लगभग 06:00 बजे उन्होंने अपने ही मोहल्ले में स्थित एक अर्धनिर्मित मकान से जनरेटर चोरी किया था तथा उसे बेचने के उद्देश्य से ले जा रहे थे, तभी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1. फैजान शेख पुत्र अब्दुल मोतीन, निवासी टीकरगढ़, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 30 वर्ष)
2. शादाब पुत्र गुफरान, निवासी टीकरगढ़, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 20 वर्ष)
3. 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

बरामदगी का विवरण –

• चोरी किया गया एक अदद जनरेटर (क्राम्पटन, 2.5 केवी)

• एक अदद ई-रिक्शा (परिचित से लिया गया)

आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 28/2026 धारा 303(2), 317(2) बी.एन.एस., थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 सुभाष तिवारी, प्रभारी चौकी लालगंज, थाना देवगांव
2. उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा, थाना देवगांव
3. का0 अरविन्द पासवान, थाना देवगांव
4. हे0का0 संजय दूबे, थाना देवगांव

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना – मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

डायल-112 पर चोरी की झूठी सूचना देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 16.01.2026 को थाना मेंहनगर क्षेत्र में डायल-112 पर चोरी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर जाँच की गई, जिसमें कथित चोरी की घटना संदिग्ध पाई गई। गहन जाँच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अपने घर के आभूषण व नकदी छिपाकर पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से झूठी सूचना दी गई थी। जाँच के दौरान छिपाए गए आभूषण एवं नकदी घर के परिसर से ही बरामद किए गए। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 17.01.2026 को अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-अरुण कुमार पाण्डेय पुत्र शेषनाथ पाण्डेय निवासी – पटना अहिआई, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

1-मु0अ0सं0 18/26 धारा 217/212/221/323/351(3) बीएनएस थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

बरामदगी

- नकद धनराशि – ₹7,500/-
- मंगलसूत्र – 02 अदद (पीली धातु)
- कान का झाला – 01 जोड़ी (पीली धातु)
- कान की छोटी बाली – 01 जोड़ी (पीली धातु)
- अंगूठी – 02 अदद (पीली धातु)
- पायल – 02 जोड़ी (सफेद धातु)
- पैर की अंगुली का मीना – 04 जोड़ी (सफेद धातु)
- चैन – 02 अदद (सफेद धातु)
- मोती लगी अंगूठी – 01 अदद (सफेद धातु)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

म0उ0नि0 रानी साहू
हे0का0 भैयालाल यादव
का0 ग्रीजेश यादव
थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़